न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला जयपुर राज0

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजीव कुमार खेदर , आर. ए. एस.

वाद संख्या :– 85/2025

उनवान

1. नेहा बगई पत्नि श्री अंकित बगई, जाति पंजाबी, निवासी बगई विला एस–19, भवानी सिंह रोड एल.आई.सी. फ्लेट के पीछे सी स्कीम जयपुर, जिला जयपुर, राज0।

– वादीया

बनाम

1. धीर स्टील मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड निदेशक सुनील बगई, निवासी बगई विला एस–19, भवानी सिंह रोड एल.आई.सी. फ्लेट के पीछे सी स्कीम जयपुर, जिला जयपुर, राज0।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट

निर्णय दिनांक :– 23/7/2025

प्रस्तुत वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि हाल आराजी खसरा नं0–587/213 रकबा 23438 हैक्टर कुल किता–1 कुल रकबा 23438 हैक्टर वाकै ग्राम बतरपुरा, पटवार हल्का देवीपुरा, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है जिर की खातेदारी में हिस्सा 1/4 भाग वादीया के नाम व शेष 3/4 भाग प्रतिवादी सं० के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। नकल जमाबन्दी हाल संलग्न वाद पन्त्र है। हाल आराजी खसरा नं0–213/613 रकश 11500 हैक्टर कुल किता–1 कुल रकबा 1.1500 हैक्टर वाकै ग्राम चतरपुरा, पटवार हल्का देवीपुरा, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है जिसकी खातेदारी में हिस्सा 1/2 भाग वादीया के नाम व शेष 1/2 भाग प्रतिवादी सं०– के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। नकल जमाबन्दी हाल संलग्न वाद पत्र है। वाद पत्र के जिमन नं0–1 व 2 में वर्णित आराजीयात वादीया व प्रतिवादी 10–1 की संयुक्त सहरणतेदारी भूमियाँ है और उक्त आराजीयात पर वादीया व प्रतिवादी सं०–1 राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। वाद पत्र के जिमन नं0–1 व 2 में वर्णित आराजी मुतनाजा का वादीया व प्रतिवादी स०–1 ने आपस की सहमति से मौके

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

पर काबिज काश्त के अनुसार बाहमी बटवारा कर रखा है और आराजी मुतनाज में आने जाने हेतु वादीया व प्रतिवादी सं०–1 ने आपसी सहमति से दोनो खसरा नम्बरान की भूमि के मध्य में से 60 फुट का रास्ता कायम कर रखा है उक्त रास्ते की भूमि को वाद पत्र के साथ सलंग्न नजरी नक्शे में पीले रंग से प्रदर्शित किया गया है व रास्ते की भूमि को छोडकर शेष रही भूमि में पूर्वी तरफ सडक से लगती हुई लाल रंग से प्रदर्शित भूमि वादीया के हिस्से व कब्जे काश्त में व हरे रंग से प्रदर्शित भूमि प्रतिवादी सं0–1 के हिस्से व कब्जे काश्त में आयी है और उसी के अनुसार वादीया व प्रतिवादी सं0–1 काबिज रहकर काश्त व उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। वादीया व प्रतिवादी सं०–1 वाद पत्र की खण्ड सं0–4 में वर्णित अनुसार मौके पर काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है और इसी के अनुसार उपयोग उपभोग करते आ रहे है अर्सा–5 रोज पूर्व वादीया ने प्रतिवादी सं0–1 से वाद पत्र की खण्ड सं0–4 में वर्णित अनुसार कानूनी बंटवारा करवाने हेतु निवेदन किया तो प्रतिवादी सं०–1 कानूनी बंटवारा करवाने से इंकार कर दिया है। वादीया वाद पत्र के जिमन नं0–1 व 2 में वर्णित आराजी मुतनाजा का वाद पत्र की खण्ड सं0–4 में वर्णित अनुसार कानूनी बंटवारा करवाने की पूर्ण अधिकारी है इस कारण वादीया को अपने विधिक अधिकारो की सुरक्षा हेतु यह वाद पत्र न्यायालय श्रीमान् के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है।

अन्त में निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा नं0–587/213 रकबा 2.3438 हैक्टर कुल किता–1 कुल रकबा 2.3438 हैक्टर वाकै ग्राम चतरपुरा, पटवार हल्का देवीपुरा, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर एवं हाल आराजी खसरा नं0–213/613 रकबा 1. 1500 हैक्टर कुल किता–1 कुल रकबा 1.1500 हैक्टर वाकै ग्राम चतरपुरा, पटवार हल्का देवीपुरा, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर का वाद पत्र की खण्ड सं0–4 में वर्णित अनुसार एवं राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार कब्जे काश्त के आधार पर राजस्व बोर्ड के नियमो के मुताबिक कानूनी बंटवारा करवाया जाकर राज लगान अलग अलग निर्धारित किया जावे जिसका अमल दरामद राजस्व रिकार्ड में किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण में दिनांक 06.06.2025 को प्रतिवादी संख्या 1 की ओर अधिवक्ता श्री रामगोपाल कुमावत एवं अधिवक्ता श्री सलमान खान ने वकालतनामा पेश कर दावा प्राथमिक डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। वकील वादी ने भी दावा प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने हेतु निवेदन किया एवं प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने बाबत् वकील उभयपक्ष ने आदेशिका पर सहमति बाबत हस्ताक्षर किये। तदानुसार दावा प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को प्रकरण में कुर्रेजात रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया ।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक/भू0अ0/2025/4562 दिनांक 18.07.2025 के द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रकरण में दिनांक 23.07.2025 को प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं उपस्थित आये एवं प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन कर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार बंटवारा किये जाने हेतु निवेदन किया एवं आदेशिका पर हस्ताक्षर कर अंकन किया कि नेहा बगई मेरी पुत्रीवधू है एवं मौखिक कथन किया कि वादीया मेरी पुत्रीवधु है एव उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार बंटवारा किया जाता है तो मुझे एवं मेरी पुत्रीवधु को कोई आपत्ति/ऐतराज नहीं है।

सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार दावा डिक्री किये जाने हेतु सहमत है एवं वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर कोई आपत्ति ऐतराज पेश नहीं किया गया है। अतः कुर्रेजात रिपोर्ट सही प्रतीत होने से एवं वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर कोई आपत्ति पेश नहीं करने से दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा नं0—587/213 रकबा 2.3438 हैक्टर कुल किता—1 कुल रकबा 2.3438 हैक्टर वाकै ग्राम चतरपुरा, पटवार हल्का देवीपुरा, तहसील—शाहपुरा, जिला जयपुर एवं हाल आराजी खसरा नं0—213/613 रकबा 1. 1500 हैक्टर कुल किता—1 कुल रकबा 1.1500 हैक्टर वाकै ग्राम चतरपुरा, पटवार हल्का देवीपुरा, तहसील—शाहपुरा, जिला जयपुर की भूमि का पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाता हैं :—

1. नेहा बगई पत्नि अंकित बगई हि0 पूर्ण जाति — पंजाबी निवासी बगई विला एस—19 भवानी सिंह रोड एल.आई.सी. फ्लैट के पीछे सी—स्कीम जयपुर राज0 खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 213/613/1 रकबा 0.49 है0, 587/213/4 रकबा 0.5025 है0 किता 2 कुल रकबा 0.9925 है0 भूमि रहेगी।
2. धीर स्टील मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड हि0 पूर्ण खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 213/613/2 रकबा 0.19 है0, 213/613/4 रकबा 0.30 है0, 587/213/1 रकबा 1.00 है0, 587/213/3 रकबा 0.5075 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.9975 है0 भूमि रहेगी।
3. नेहा बगई पत्नि अंकित बगई हि0 1/2 जाति — पंजाबी निवासी बगई विला एस—19 भवानी सिंह रोड एल.आई.सी. फ्लैट के पीछे सी—स्कीम जयपुर राज0, धीर स्टील

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड हि0 1/2 खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 213/613/3 रकबा 0.17 है0 किता 1 रकबा 0.17 है0 भूमि रहेगी।

4. नेहा बगई पत्नि अंकित बगई हि0 1/4 जाति – पंजाबी निवासी बगई विला एस–19 भवानी सिंह रोड एल.आई.सी. फ्लैट के पीछे सी–स्कीम जयपुर राज0, धीर स्टील मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड हि0 3/4 खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 587/213/2 रकबा 0.3338 किता 1 कुल रकबा 0.3338 है0 भूमि रहेगी।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा की ओर से प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट एवं सलंग्न नक्शा ट्रेस इस निर्णय का जुज रहेगा। साथ ही पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादीगण को हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक–दूसरे के हिस्से में आई भूमि में किसी भी प्रकार की मजहामत पैदा नहीं करें, बल्कि शान्तिपूर्वक उनके हिस्से की भूमि की काश्त एवं उपयोग व उपभोग करने देवें। हर्जा खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम करने के लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हो। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 23/07/25 को सरै इजलास सुनाया गया।

(संजीव कुमार खेदर, R.A.S)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा, जिला जयपुर

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जयपुर) राज

प्रपत्र – 6

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजीव कुमार खेदर , आर. ए. एस.

वाद संख्या :– 85 / 2025

उनवान

1. नेहा बगई पत्नि श्री अंकित बगई, जाति पंजाबी, निवासी बगई विला एस–19, भवानी सिंह रोड एल.आई.सी. फ्लेट के पीछे सी स्कीम जयपुर, जिला जयपुर, राज0।

– वादीया

बनाम

1. धीर स्टील मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड निदेशक सुनील बगई, निवासी बगई विला एस–19, भवानी सिंह रोड एल.आई.सी. फ्लेट के पीछे सी स्कीम जयपुर, जिला जयपुर, राज0।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट

निर्णय दिनांक :– 23/7/25

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा नं0–587 / 213 रकबा 2.3438 हैक्टर कुल किता–1 कुल रकबा 2.3438 हैक्टर वाकै ग्राम चतरपुरा, पटवार हल्का देवीपुरा, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर एवं हाल आराजी खसरा नं0–213 / 613 रकबा 1. 1500 हैक्टर कुल किता–1 कुल रकबा 1.1500 हैक्टर वाकै ग्राम चतरपुरा, पटवार हल्का देवीपुरा, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर की भूमि का पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाता हैं :–

नेहा बगई पत्नि अंकित बगई हि0 पूर्ण जाति – पंजाबी निवासी बगई विला एस–19 भवानी सिंह रोड एल.आई.सी. फ्लैट के पीछे सी–स्कीम जयपुर राज0 खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 213 / 613 / 1 रकबा 0.49 है0, 587 / 213 / 4 रकबा 0.5025 है0 किता 2 कुल रकबा 0.9925 है0 भूमि रहेगी।

धीर स्टील मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड हि0 पूर्ण खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 213 / 613 / 2 रकबा 0.19 है0, 213 / 613 / 4 रकबा 0.30 है0, 587 / 213 / 1

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

रकबा 1.00 है0, 587/213/3 रकबा 0.5075 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.9975 है0 भूमि रहेगी।

3. नेहा बगई पत्नि अंकित बगई हि0 1/2 जाति – पंजाबी निवासी बगई विला एस–19 भवानी सिंह रोड एल.आई.सी. फ्लैट के पीछे सी–स्कीम जयपुर राज0, धीर स्टील मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड हि0 1/2 खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 213/613/3 रकबा 0.17 है0 किता 1 रकबा 0.17 है0 भूमि रहेगी।

4. नेहा बगई पत्नि अंकित बगई हि0 1/4 जाति – पंजाबी निवासी बगई विला एस–19 भवानी सिंह रोड एल.आई.सी. फ्लैट के पीछे सी–स्कीम जयपुर राज0, धीर स्टील मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड हि0 3/4 खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 587/213/2 रकबा 0.3338 किता 1 कुल रकबा 0.3338 है0 भूमि रहेगी।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा की ओर से प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट एवं सलंग्न नक्शा ट्रेस इस निर्णय का जुज रहेगा। साथ ही पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादीगण को हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक दूसरे के हिस्से में आई भूमि में किसी भी प्रकार की मजहामत पैदा नहीं करें, बल्कि शान्तिपूर्वक उनके हिस्से की भूमि की काश्त एवं उपयोग व उपभोग करने देवें। हर्जा खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम करने के लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक को उक्त डिक्री 23/7/25 मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

(संजीव कुमार खेदर, **R.A.S**)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा, जिला जयपुर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.